न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 68/2019

1. विकास }
2. विशाल } पिसरान स्व. श्री रणवीरसिंह जाति जाट निवासीयान चक 15 जेड. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. कमलेश पत्नी स्व. श्री रणवीरसिंह जाति जाट निवासीयान चक 15 जेड. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादीगण

बनाम

1. गुरदयालसिंह }
2. दलबीरसिंह } पिसरान श्री सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासीयान चक 16 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सुखदेवसिंह }
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

–– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 88, 92(ए), 183, 188 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री रणजीत सारडीवाल	– – वादीगण
2.	श्री सुखदेवसिंह	– – प्रतिवादी 1 ता 3
3.	पैरोकार राज	– – प्रतिवादी 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–30.10.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के पिता रणवीरसिंह तथा उनके भाईयों कंवरसेन,राधेराम पिसरान शोपतराम ने जरिये दस्तावेज रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22–03–1965 को मोहनलाल पुत्र बल्लूराम जाति बैरागी निवासी चिस्तियां तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ (राज0) से चक 15 जेड. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के गत मुरबा नं0–16(जो वर्तमान मुरबा नं0–15) की कुल भूमि 12–13 बीघा नहरी भूमि खरीद की हुई है तथा उक्त बैयनामानुसार वादीगण के पिता रणवीरसिंह ने गत मुरबा नं0–16(जो वर्तमान मुरबा नं0–15) के कि0 नं0–1 में 13 बिस्वा तथा किला नं0–2, 9, 10, 13 सालम–सालम अर्थात कुल 4 बीघा 13 बिस्वा

(मुकेश बारैठ)

नहरी भूमि खरीद है बैयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वादपत्र है। वादीगण के पिता रणवीरसिंह तथा उसके भाईयों कंवरसेन, राधेराम पिसरान शोपतराम ने चक 15 जेड. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर का गत मुरबा नं0–16 (जो वर्तमान मुरबा नं0–15) का कुल रकबा 12–13बीघा नहरी भूमि में से 11–13 बीघा नहरी भूमि आपसी सहमति से अलग–2 दस्तावेज बैयनामा दिनांक 10–06–1980 तथा दिनांक 20–06–1980 के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 गुरदयालसिंह, दलबीरसिंह एवं सुखदेवसिंह पिसरान सोहनसिंह को बेचान कर दी थी लेकिन वादीगण के पिता रणवीरसिह ने वर्तमान मुरबा नं0–15 के किला नम्बर–1 का 13 बिस्वा, 2 का 7 बिस्वा कुल रकबा 1–00 बीघा नहरी भूमि को अपने कब्जे एवं स्वामित्व में रखा था जो कि इन्तकाल संख्या–106 तस्दीक होते समय 1–00 बीघा नहरी भूमि को शामिल करते हुए समस्त भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी सं0–1ता 3 के पक्ष में हो गया जो कि गैर कानूनी एवं गलत है तथा वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है क्योंकि वादीगण के पिता रणवीरसिंह तथा उसके भाईयों कंवरसेन, राधेराम पिसरान शोपतराम ने किला नम्बर–1 का 13 बिस्वा तथा किला न0–2 का 7 बिस्वा अर्थात कुल 1–00 बीघा भूमि को कभी बेचान नहीं किया है इसलिये वादीगण कानूनन 0.253 है। नहरी भूमि को अपने–2 नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण के पिता रणवीरसिंह पुत्र शोपतराम देहान्त दिनांक 27–09–2006 को हो चुका है तथा उनके देहान्त पश्चात् जायज एवं कानूनी वारिस–3 (तीन) वादीगण ही है तथा अन्य कोई जायज एवं कानूनी वारिस नही है इसलिये वादीगण 0.253 हैक. नहरी भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। चक 15 जेड. के खाता संख्या–84/76 की कुल भूमि 17.659 है0 नहरी मय खाला मुश्तरका खाता की भूमि में से मुरबा नं0–15 का रकबा 3.188 है। नहरी भूमि दर्ज जमाबंदी सम्वत 2066–69 है जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न दावा है। चक 15 जेड. के खाता संख्या–84/76 की मुश्तरका खाता में शामिल मुरबा नं0 15 के किला नम्बर–1 में 0.152 है0 तथा किला नम्बर–2 में 0.253 है। हिस्सा वर्तमान में दर्ज है जबकि वादीगण के पिता रणवीरसिंह एवं उसके भाईयों कंवरसेन, राधेराम पिसरान शोपतराम द्वारा उक्त रकबा सम्बन्धित संयुक्त रूप से दस्तावेज बैयनामा दिनांक 20–06–1980 निष्पादित करवाते समय वर्तमान मुरबा नं0–15 के किला नम्बर–2 में से 13 बिस्वा ही रकबा प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 बेचान किया था इस प्रकार से वादीगण के पिता ने द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 22–03–1965 द्वारा खरीद करते समय किला नम्बर–2 का 7 बिस्वा तथा किला नम्बर– 1 का 13 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

रकबा अपने पास ही रखा था तथा कानूनन 0.253 हैक. भूमि वादीगण के पिता के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहनी चाहिए थी जो कि प्रतिवादी सं0–1 ता 3 के नाम बिना किसी कानूनी आधार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है इसलिये प्रतिवादी सं0–1 ता 3 को ही पक्षकार बनाया गया है तथा किला विशेष का रीलीफ नही चाहने के कारण शेष खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है केवल प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के विरूद्ध ही रिलीफ चाहा गया है क्योंकि वादीगण के पिता की 0.253 बीघा नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के नाम से बिना बेचान किये ही गलत खातेदार दर्ज हो गई इसलिये प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के नाम से दर्ज रकबा 3.188 है0 नहरी भूमि में से 0.253 हैक. हिस्सा रकबा कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज किया जाना कानूनन जरूरी है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 गुरदयालसिंह, दलबीरसिंह एवं सुखदेवसिंह के नाम से दर्ज रकबा 3.188 है0 हिस्सा भूमि में से 0.253 है0 हिस्सा भूमि के हम वादीगण ही कानूनी मालिक है तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने एवम कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0–1 ता 3 को बार–बार आग्रह किया कि वे उनके नाम दर्ज रकबा 3.188 है0 हिस्सा भूमि में से हमारे हिस्सा की 0.2 53 है0 हिस्सा भूमि कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवा देवे लेकिन प्रतिवादी सं0–1 ता 3 द्वारा बिना किसी उचित कारण के हमें बार–2 आगे से आगे टरकाते रहे तथा अब दिनांक 20–05–2019 को साफ इनकारी कर दी तथा इसी इनकारी से वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

वादी द्वारा वाद निम्न प्रकार से डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया –

1. इस आश्य की घोषणात्मक आदेश जारी किया जावे कि चक 15 जेड. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या–84/76 का 17.659 है0 नहरी मय खाला भूमि में से प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के नाम से दर्ज 3.188 है0 हिस्सा भूमि में से 0.253 हैक. हिस्सा भूमि कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम से खातेदार घोषणा करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर वादीगण के हिस्से का कब्जा दिलाया जावे।इस आश्य की स्थाई डिकी जारी की जावे कि चक 15 जेड. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/76 में से प्रतिवादीगण संख्या–1 ता3 के नाम से दर्ज 3.188 है0 हिस्सा भूमि में से 0.253 है0 हिस्सा भूमि

हम वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो जाती तब तक प्रतिवादी 1 ता 3 उक्त भूमि को रहन बैय या अन्य तरीके से हस्तांतरण न करें।

2. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में प्रदान किया जावे।

3. खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.09.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार वादीगण के पिता द्वारा चक 15 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/76 के मु.नं. 15 वर्तमान (पुराना 16) के किला नम्बर 02 कास 0.13 बीघा (0.12 बस्वा पूर्वी तथा 0.01 बिस्वा रकबा उत्तर का श्रीगंगानगर–करणपुर रोड व दक्षिण की ओर शेष 07 बिस्वा छोड कर) किला नं. 2 से प्रतिवादीगण को बेचान किया गया है। इस प्रकार से मु.नं. 15 के 11 बीघा 13 बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण का छोड कर बाकी रकबा वादीगण के नाम हो जावें। प्रतिवादीगण का रकबा 3.188 हैक. हिस्सा में से 2.947 हैक.(यानि 11.13 बीघा) छोड कर बाकी का वादीगण के नाम कर दिया जावे। मन प्रतिवादीगण ने वादीगण के हिस्से होने से कभी इनकार नहीं किया। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि चक 15 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/76 का 17.659 हैक. नहरी मय खाला भूमि में से प्रतिवादीगण की 2.947 हैक. (11.13 बीघा) जो किला नं. 02(0.13), किला नं. 9 ता 23 सालम, कुल 11.13 बीघा (2.947हैक.), मु.नं. 15 में से छोड कर शेष भूमि वादीगण के नाम कर दी जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की ओर से जवबा स्टेट पेश किया गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 23.09.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसको स्वीकार करने बाबत वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति दर्ज करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में संशोधन किया गया। मुताबिक संशोधन वादी का अनुतोष "दावा स्वीकार किया जाकर 0.241 हैक. हिस्सा भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर खातेदारी घोषित की जावे।"

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाये जाने पर वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 15 जेड. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के

खाता संख्या–84/76 का 17.659 है0 नहरी मय खाला भूमि में से प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के नाम से दर्ज 3.188 है0 हिस्सा भूमि में से 0.241 हैक. हिस्सा भूमि कलमजन किया जाकर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 30.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.11 13:26:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: